कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 461 /7सी0 दिनांक 17 मार्च 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः **जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागॉव तक मोटर मार्ग हेतु 3.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 151058/2022)।**

संदर्भः **आपका पत्रांक 4634/12–1 दिनॉक 09.06.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत प्रेषित हैः–

	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्ताव को बाइण्डिग कर प्रेषित किया जाय।	प्रस्ताव बाइण्डिग करा लिया गया है।
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न कर लिये गये हैं।
3.	प्रस्ताव में पृष्ठ सं0 अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न की जाय।	प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न कर ली गयी है।
4.	प्रस्तावित मोटर मार्ग किस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्र में स्पस्ठ रूप से दर्शाया जाय।	प्रस्तावित मोटर मार्ग जिस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्र में स्पस्ठ रूप से दर्शाया गया है तथा संकेत चिन्ह में भी अंकित किया गया है।
5.	प्रस्तावित मोटर मार्ग में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में संबंधित वन पंचायत अधिकारी/जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में संबंधित वन पंचायत संरपंच के हस्ताक्षर करा लिये गये है।
6.	ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा–I(X) में वन भूमि 1000 वर्षों हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने की सूचना अंकित की गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।	ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा–I(X) में सूचना सही अंकित कर ली गयी है।
7.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट– I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट– I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया गया है।
8.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट– I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट– I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया गया है।
9.	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिस नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिस नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर लिया गया है।

10.	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में अलग अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में अलग अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड कर ली गयी है।
11.	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न कर ली गयी है।
12.	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की डी0एस0एस0 एनालिसिस की रिर्पोट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2024/1–42(III) दिनॉक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03) 2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः डी0एस0एस0 एनालिसिस की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।

विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र सं0 2851/7सी0 दिनॉक 29 नवम्बर 2022 से आपको प्रेषित किये जा चुके हैं।

अतः अनुरोध है कि विषयक मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय
17-3-23

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पत्रांक /7सी0 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि–सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।